

Title: Introduction of the Use of Indian Languages in Commercial Advertisement and on Packages of Consumers Goods Bill, 1998.

15.43-1/2 hrs.

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभी वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर हिन्दी भाषा और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी एक अन्य भारतीय भाषा के उपयोग को अनिवार्य करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. SPEAKER: The question is;

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the compulsory use of Hindi language and one of the other Indian languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution in all commercial advertisements and on packages of consumer goods and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India Extraordinary Part II-Section 2,dt-4.12.98